



प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
ईश्वरसिंह राठौड निवासी थूम्बा पोस्ट पादरली वाया गुडा तहसील आहोर जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		२२ /2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

10.07.2019	<p>अपीलांत ने यह अपील रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांत को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 24.07.2019 को जवाब/बहस हेतु पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर </p>	<p>586-81 11-7-19</p>
24.07.2019	<p>अपीलांत अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ।</p> <p>राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर ने जवाब दिनांक 24.07.2019 द्वारा व्यक्त किया कि अपीलांत का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2019 के क्रम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/433 दिनांक 18.07.2019 द्वारा अपीलांत को भिजवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जावे।</p> <p>राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना के संबध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांत को जरिए पत्रांक/433 दिनांक 18.07.2019 को भिजवाया जाना पाया जाता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांत की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांत को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट हैं तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।</p> <p style="text-align: center;">  प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर </p>	

